राज्य विक्रय समन्वय समिति में समिति सचिव के पद हेतु आवेदन पत्र

स्व- प्रमाणित नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटो

1.	नाम (स्पष्ट अक्षरों में)	
2.	पिता/माता का नाम	
3.	जन्म तिथि (प्रमाण संलग्न करें)	
4.	(i) पत्राचार के लिए डाक पता (पिन कोड सहित) (ii) फ़ोन नंबर (iii) मोबाइल नंबर (iv) ई-मेल आईडी (v) फैक्स	
5.	राष्ट्रीयता (केवल भारतीय नागरिक ही आवेदन कर सकते हैं)	
6.	शैक्षिक योग्यता (स्व-प्रमाणित प्रतियां संलग्न करें) - विवरण	
7.	पद हेतु निर्धारित पात्रता मानदंडों के अनुसार विशेषज्ञता का कार्यक्षेत्र तथा उस क्षेत्र में अनुभव के वर्षों की संख्या	
8.	कोई अन्य विशेष योग्यता; या विशेष उपलब्धियां; महत्वपूर्ण समितियों/कार्य समूहों आदि में भागीदारी;	

वचनबद्धता

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि आवेदन पत्र में मेरे द्वारा भरी गई सभी प्रविष्टियां मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार पूर्ण और सत्य हैं तथा अभिलेखों पर आधारित हैं।

स्थान:-

दिनांक :-

(हस्ताक्षर और तिथि)

अनुदेश:

1. अधूरे आवेदन या नियत तिथि के बाद प्राप्त आवेदन अस्वीकृत किए जा सकते हैं।
2. जहां संबंधित कॉलम में जानकारी देना संभव न हो, तो वहाँ आवेदक अतिरिक्त शीट संलग्न कर सकते हैं।
3. चयनित आवेदक से नियुक्ति आदेश जारी होने के एक माह के भीतर पदभार ग्रहण करने की अपेक्षा की जाएगी।

114/c

शहरी विकास विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
10वां तल, सी-विंग, दिल्ली सचिवालय
आई0पी0 एस्टेट, नई दिल्ली-110002

सरकार, दिल्ली पटरी विक्रेता (आजीविका संरक्षण और पटरी विक्रय विनियमन) योजना, **2019** के पैरा **9.1** के अनुसार राज्य विक्रय समन्वय समिति के लिए समिति सचिव की नियुक्ति का प्रयोजन रखती है।

शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव: असंगठित क्षेत्र और पटरी विक्रेता के साथ कार्य करने का **30** वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाला एक विशेषज्ञ, जिसके पास असंगठित क्षेत्र से संबंधित प्रासंगिक अधिनियमों और योजनाओं का व्यापक ज्ञान हो।

पारिश्रमिक: समिति सचिव को देय पारिश्रमिक/मानदेय भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के दिनांक **12.04.2017** के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार विनियमित किया जा सकता है, जिसमें प्रति बैठक **4,000** रुपये प्रति दिन का बैठक शुल्क शामिल है, बशर्ते कि उसमें निहित शर्तों का पालन किया जाए। इसके अतिरिक्त, शहर के भीतर यात्रा के लिए गैर-एसी टैक्सी के किराए की प्रतिपूर्ति भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के दिनांक **14.09.2017** के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार किए जाने की अनुमति दी सकती है, बशर्ते कि उसकी अधिकतम सीमा **338** रुपये प्रति दिन हो और उसमें निर्धारित शर्तों का पालन किया जाए।

कार्यकाल: समिति सचिव का कार्यकाल समिति के कार्यकाल के साथ ही समाप्त होगा।

अन्य निबंधन एवं शर्तें:

(1) सरकार समिति के सदस्यों को हटा सकती है यदि:-

(क) वह दिवालिया घोषित किया गया है, या

(ख) वह ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो, जो सरकार के मत में नैतिक पतन से संबंधित हो, या

(ग) वह सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हो गया हो, जैसा भी मामला हो, या

(घ) उसने ऐसे वित्तीय अन्य हित अर्जित कर लिए हैं जो सदस्य के रूप में उसके कार्यों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकते हैं, जैसा भी मामला हो, या

(ङ) उसने अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया है कि उसका पद पर बने रहना जनहित के लिए हानिकारक है।

बशर्ते कि सदस्य को उपरोक्त खंड (घ) और (ङ) में निर्दिष्ट आधारों पर उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि सरकार द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट ऐसी प्रक्रिया के अनुसार जांच न की जाए।

(2) समिति के सदस्यों की सेवा के निबंधन एवं शर्तों में उनके कार्यकाल के दौरान उन्हें हुई हानि के लिए कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

Application Form for the post of Committee Secretary in the State Vending Coordination Committee

Self-Attested Latest Passport Size Photograph

1.	Name (In Block Letters)	
2.	Father's/Mother's Name	
3.	Date of Birth (Proof to be attached)	
4.	(i) Postal Address for Correspondence (with Pin Code) (ii) Phone Number (iii) Mobile Number (iv) E-Mail ID (v) Fax	
5.	Nationality (Only Indian nationals need apply)	
6.	Education Qualifications (self-attested copies to be attached)- Details	
7.	Field of expertise as per prescribed eligibility criteria for the post and the number of years of experience thereon	
8.	Any other special qualification; or special achievements; on participation in important committees/working groups, etc;	

105/C

Undertaking

I, hereby, declare that, the entries made by me in the Application Form are complete and true to the best of my knowledge and based on records.

Place:-

Date:-

(Signature with Date)

Instructions:

1. Incomplete applications or applications received after the due date are liable to be rejected.
2. The applicants may attach additional sheets in respect of any information where it is not possible to indicate the same in the relevant column.
3. The selected applicant will be expected to join the post within one month of the issue of order of appointment.

DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT
GOVT. OF NCT OF DELHI
10TH LEVEL, C-WING, DELHI SACHIVALAYA
I.P. ESTATE, NEW DELHI-110002

Government desires to appoint Committee Secretary for the State Vending Coordination Committee as per Para 9.1 of the Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Scheme, 2019.

Educational Qualifications & Experience: An expert with more than 30 years' experience of working with unorganized sector and street vendors, and possesses vast knowledge of the relevant Acts & Schemes related to unorganized sector.

Remuneration: The remuneration/honorarium payable to the Committee Secretary may be regulated in accordance with the Ministry of Finance, Government of India Office Memorandum dated **12.04.2017**, with a sitting fee of **₹4,000 per day per sitting**, subject to fulfillment of the conditions contained therein. Further, reimbursement of non-AC taxi charges for travel within the city may be allowed in accordance with the Ministry of Finance, Government of India Office Memorandum dated **14.09.2017**, subject to a maximum limit of **₹338 per day** and fulfillment of the conditions prescribed therein.

Tenure: The tenure of the Committee Secretary shall be co-terminus with the tenure of the Committee.

Other Terms and Conditions:

(1) The Government may remove the Members of the Committee if he:-

(a) has been adjudged an insolvent, or

(b) has been convicted of an offence which, in the opinion of the Government, involves moral turpitude, or

(c) has become physically or mentally incapable of action as Member, as the case may be or

(d) has acquired such financial other interests as is likely to affect prejudicially his functions as a Member, as the case may be or

(e) has so abused his position as to render his continuance in office prejudicial to the public interest.

Provided that the Member shall not be removed from his office on the grounds specified in clauses (d) and (e) above except on an inquiry held by the Government in accordance with such procedure as it may specify in this behalf.

(2) The terms and conditions of the service of the Members of the Committee shall not be varied to their disadvantage during their tenure of office.